<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>03.09.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली आंचलिक कार्यालय ने गुप्ता एक्ज़िम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीईआईपीएल) से जुड़े एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 02.09.2025 को दिल्ली-एनसीआर और पुणे, महाराष्ट्र में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान धोखाधड़ी की अवधि के दौरान मेसर्स जीईआईपीएल के प्रमोटरों/निदेशकों के घनिष्ठ व्यक्तियों/संस्थाओं के साथ-साथ कंपनी के उन प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के ठिकानों पर भी चलाया गया, जिन्होंने ऋण राशि के हेराफेरी और गबन के माध्यम से ऋणों की हेराफेरी में मेसर्स जीईआईपीएल और उसके प्रमोटरों/निदेशकों की सहायता की थी।

पीएमएलए, 2002 के तहत ईडी की जांच सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी, जो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा मेसर्स जीईआईपीएल के खिलाफ की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने अपने प्रमोटरों और निदेशकों के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक (पूर्व में ई-ओबीसी बैंक) द्वारा दिए गए लगभग 425 करोड़ रुपये के ऋण/फंड का गबन किया।

जाँच के दौरान, यह पता चला कि मेसर्स जीईआईपीएल के कंपनी खातों से बड़ी मात्रा में धनराशि अवैध रूप से निकाली गई या उसके संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं को हस्तांतरित की गई। जाँच से पता चला कि मेसर्स जीईआईपीएल और उसकी संबंधित संस्थाओं के बीच ये वित्तीय लेन-देन कंपनी के खातों में कृत्रिम रूप से वृद्धि करने के इरादे से किए गए थे ताकि बैंकों से अधिक धनराशि प्राप्त की जा सके। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि मेसर्स जीईआईपीएल द्वारा प्राप्त बैंक ऋणों के एक हिस्से का दुरुपयोग किया गया और उसे उसके प्रमोटरों के निजी खातों में अंतरित कर दिया गया।

तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप 1.63 करोड़ रुपये मूल्य के बैंक खाते, म्यूचुअल फंड, शेयर फ्रीज कर दिए गए तथा विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेजों सहित लगभग 15 लाख रुपये मूल्य की भारतीय मुद्रा जब्त की गई।

आगे की जांच जारी है।